बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, बेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक : 25/02/2025

अधिसूचना

संख्या–नि.प्रा./ विविध. 1–04/2024 ..591.. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या– 2196 दिनांक 06.12.2024 द्वारा **समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड** का निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मतदाता सूची पर प्राप्त शिकायत के आलोक में उक्त समिति का निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 2307 दिनांक 26.12.2024 द्वारा स्थगित किया गया था।

2. अतः उक्त के आलोक में **समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या– 2196 दिनांक 06.12.2024 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्रमांक	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–ई 1 में सूचना का प्रकाशन	01.03.2025 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	05.03.2025 (बुधवार) एवं 06.03.2025 (गुरूवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	07.03.2025 (शुक्रवार) एवं 08.03.2025 (शनिवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	11.03.2025 (मंगलवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	18.03.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	18.03.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	20.03.2025 (गुरूवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सरायरंजन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार यथा– माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह–निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), सरायरंजन निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 20.03.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखा जा सकता है।

5. अधिसूचना संख्या– 2196 दिनांक 06.12.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आशुतोष
25-2-25
(आशुतोष कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर / अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर/ प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), सरायरंजन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), समस्तीपुर से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव

ज्ञापांक : 591 /पटना, दिनांक : 25/02/2025

प्रतिलिपिः MIS कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
25-2-25
अवर सचिव